संख्या-25/2017/1693/86-2017-132/2016

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांकः 18 अगस्त, 2017

विषयः- "जिला खनिज फाउडेन्शन न्यास" के नाम से खनन संक्रियाओं से प्रभावित प्रत्येक जनपद के किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में खाता खोला जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या-489/86-2017-132/2016, दिनांक 25.04.2017 द्वारा प्रदेश के खनन संक्रियाओं से प्रभावित प्रत्येक जिलें में "जिला खनिज फाउडेन्शन न्यास" स्थापित करते हुये उसकी संरचना और कृत्यों का विनियमन करने तथा खनन क्रियाकलापों के प्रभावित क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप सम्पादित करने की रीति को विहित करने की रीति को विहित करने की दृष्टि से अधिसूचना संख्या-866/86-132/2016, दिनांक 15.05.2017 द्वारा " उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउडेन्शन न्यास नियमावली, 2017" प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियामवली के नियम-15 में 'न्यास निधि' के नाम से किसी अनुसूचित वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंक में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से खाता खोले जाने का प्राविधान किया गया है।

2. उक्त के सम्बन्ध में खनन संक्रियाओं से प्रभावित जनपदों से खाता खोले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सन्दर्भो पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "जिला खनिज फाउडेन्शन न्यास" के नाम से जनपद के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन 'लाभ रहित' खाता खोले जाने हेतु सहमति प्रदान की जाती है :-

(1) उक्त खाता 'बचत खाता' होगा।

(2) प्रश्नगत खाते का संचालन उक्त नियमावली के नियम-15 में उल्लिखित सदस्य सचिव और प्रबन्ध समिति द्वारा प्राधिकृत प्रबन्ध समिति के सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

(3) न्यास के अिस्तत्व में रहने की अवधि तक ही खाता चालू रखा जायेगा ओर इसके उपरान्त खाते को नियमानुसार बन्द करा दिया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) इस खाते में उक्त सन्दर्भित नियमावली के नियम-10 के अधीन प्राप्त अंशदान की धनराशि ही रखी जायेगी। किसी अन्य कार्य हेतु इस खाते का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। उक्त से विचलन की स्थिति में प्रबन्ध समिति के सदस्य सचिव और प्रबन्ध समिति द्वारा प्राधिकृत सदस्य इसके लिये संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगें, जिनके विरूद्ध शासन द्वारा संगत प्रभावी नियमों के अधीन आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(5) खाते के संचालन एवं रख-रखाव आदि में वित्तीय नियमों एवं आदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और खोले गये खातों का विवरण निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या-एफ0ए-1-255/दस-2017, दिनांक 18.08.2017 में प्राप्त उनकी सहमति के उपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय
राज प्रताप सिंह
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या-1693(1)86-2017 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि समस्त संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराने का कष्ट करें।
2. वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
3. गार्ड फाइल

आज्ञा से
आत्मा राम
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in